

टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

7 अक्टूबर 1994

[आर. एम. सहाय और एन.पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण]

बिहार वित्त अधिनियम, 1981:

धारा 13(1)(ख)-रियायती दर पर कर की वसूली-'औद्योगिक कच्चा माल (निवेश)'
निर्माण के संबंध में अधिसूचना।

मोटर वाहन, ट्रक और बस के चैसिस के निर्माता - टायर, ट्यूब, बैटरी जैसी वस्तुओं
की खरीद और वाहनों में उपयोग - रियायती कर दर पर वस्तुएँ खरीदने का अधिकार प्राप्त।

शब्द और वाक्यांश: 'कच्चा माल-का अर्थ।

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13(1)(ख) राज्य में किसी पंजीकृत व्यापारी
द्वारा विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर की
विशेष दर का उपबंध करती है। उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य
ने अधिसूचना संख्या एस.ओ.-604 दिनांक 12.4.82 जारी कर यह निर्देश दिया कि धारा
13(1)(ख) के अधीन देय औद्योगिक कच्चे माल (आगत सामग्री) पर विक्रय कर 1 प्रतिशत
की दर से होगा।

अपीलकर्ता-कंपनी मोटर वाहन, ट्रक, बस के चैसिस, खुदाई यंत्र और अन्य
इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण कर रही थी। इसके लिए यह टायर, ट्यूब, बैटरी और
विभिन्न अन्य वस्तुओं की खरीद करती थी, जो वाहनों के उत्पादन में प्रयुक्त होती थीं।
कंपनी ने दावा किया कि उक्त खरीदी गई वस्तुएँ कच्चा माल होने के नाते और राज्य में
बिक्री के लिए या अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान सीधे उपयोग के लिए आवश्यक होने के
कारण, उन वस्तुओं पर 1% की रियायती कर दर का अधिकार प्राप्त था। उप-आयुक्त, बिक्री

कर ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इनपुट्स की वस्तुएँ तैयार अवस्था में थीं और केवल चेसिस में फिट की जाने वाली थीं, बिना किसी अतिरिक्त परिवर्तन के। अतः ऐसे फिटिंग्स की खरीद अधिसूचना के दायरे में नहीं आती।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे खंड पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'औद्योगिक कच्चा माल (इनपुट्स)' शब्द को इतना व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता कि रियायती दर का दायरा तैयार उत्पादों तक बढ़ जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में अपील दायर की।

अपील की अनुमति देना और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करना, यह न्यायालय

निर्णय: 1. अपीलकर्ता उन वस्तुओं जैसे टायर, ट्यूब और बैटरी पर 1% की रियायती कर दर का हकदार है, जो वाहन आदि के निर्माण में कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हुई थीं।
[415-डी]

2. 'कच्चा माल' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ उस उपयोग के अनुसार बदल सकता है, जिसके लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। कोई वस्तु 'ए' वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल हो सकती है, और इस प्रकार उत्पादित वस्तु स्वयं 'बी' वस्तुओं के लिए कच्चा माल बन सकती है। उदाहरण के लिए, बैटरी, टायर और ट्यूब स्वयं तैयार उत्पाद हैं। इन्हें अपने आप में कच्चा माल नहीं माना जा सकता। लेकिन जब इन्हें किसी वाहन के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो यह उस वाहन के लिए कच्चा माल बन जाती हैं, क्योंकि वाहन के उत्पादन के लिए ये आवश्यक और अनिवार्य हैं। कोई भी वाहन तब तक कार्य नहीं कर सकता और न ही उसे उत्पादित कहा जा सकता है जब तक कि टायर, ट्यूब और बैटरी उसमें फिट न किए जाएँ। इन वस्तुओं का उपयोग अंतिम उत्पादन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये अंतिम उत्पाद में अपनी पहचान बनाए रखती हैं। लेकिन

इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हें कच्चा माल नहीं माना जा सकता। विशेष कर दर किसी भी वस्तु पर लगाई जा सकती है, जिसका उपयोग निर्माण में होता है। लेकिन सरकार ने इसे केवल कच्चा माल तक सीमित कर दिया। फिर भी, धारा 13(1)(ख) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, लाभ उन सभी कच्चे माल पर लागू होगा, जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में होता है। दूसरे शब्दों में, रियायती कर दर केवल कच्चा माल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ऐसे कच्चे माल पर थी, जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया गया।

[415 - ई, 415-एच, 416-ए-सी-ई]

3. कच्चा माल को आगे समझाने के लिए 'इनपुट्स' शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ है - 'जो डाला जाए', 'प्रवेश करना', 'सिस्टम में प्रवेश करना'। टायर, ट्यूब और बैटरी वाहन में डालने के लिए खरीदी गई थीं, जो इनके बिना कार्यशील नहीं हो सकता था। अतः ये 'इनपुट' थीं। इस शब्द के उपयोग से यह संकेत मिलता है कि लाभ उन सभी वस्तुओं के लिए था, जो सबसे व्यापक अर्थ में कच्चा माल थीं, और 'इनपुट' शब्द के उपयोग से इसका दायरा और भी व्यापक किया गया। इसका उद्देश्य कच्चा माल के अर्थ को इस तरह व्यापक करना था कि उसमें वे वस्तुएँ भी शामिल हों जिन्हें वाहन में डालकर उसे बेचने योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार, रियायती कर दर उस कच्चे माल पर लागू होती है, जिसे वस्तुओं के निर्माण या उपयोग में डाला जाता है। [416-एफ, 416-एच, 417-ए]

जे.के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम एस.टी. अधिकारी, कानपुर और अन्य, (1965) 1 एस.सी.आर. 900; इंडियन कॉपर कंपोनेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना और अन्य, ए.आई.आर. (1965) एससी 891; केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, नई दिल्ली बनाम बल्लमपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (1989) 1 एस.सी.आर. 323 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता बनाम जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, (1988) अनुपूरक 3 एस.सी.आर. 998 संदर्भित।

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 1985 का दीवानी अपील संख्या 4497

पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू. मामला संख्या 1339/1982(आर) में 9.7.1984 के निर्णय और आदेश से।

आर. एफ. नरीमन, एस. सुकुमारन, जे. बी. डी. एण्ड कम्पनी की ओर से, अपीलकर्ता के लिए।

डी. गोबर्धन उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर.एम. सहाय, न्यायमूर्ति, इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त विधिक प्रश्न यह है कि क्या कोई भी कच्चा माल, जिसमें वे वस्तुएँ भी शामिल हैं जो अन्यथा तैयार उत्पाद थीं और जिन्हें अपीलकर्ता ने वाणिज्यिक वाहन, स्पेयर पार्ट्स और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग किया, राज्य सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 1982 को बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13(1)(ख) के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'औद्योगिक कच्चा माल (इनपुट्स)' के अर्थ में आता है या नहीं।

अपीलकर्ता, जो कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी है, ने अपने उत्पादों, अर्थात् मोटर वाहन, ट्रक और बस के चैसिस, खुदाई यंत्र और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण और प्रसंस्करण के उद्देश्य से, टायर, ट्यूब, बैटरी और विभिन्न अन्य वस्तुओं सहित कई वस्तुएँ खरीदीं, जो इन उत्पादों के निर्माण और उन्हें बिक्री योग्य बनाने में प्रयुक्त होती हैं। अपीलकर्ता ने दावा किया कि ऐसी वस्तुएँ, चूंकि कच्चा माल हैं और राज्य में बिक्री के लिए या अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान सीधे उपयोग के लिए आवश्यक हैं, उन पर 1% की रियायती कर दर का हकदार है। इस संबंध में, अपीलकर्ता ने 27 अप्रैल, 1982 को उप-आयुक्त के समक्ष प्रमाणपत्र जारी करने के

लिए आवेदन किया ताकि वह इन वस्तुओं को रियायती दर पर खरीद सके, जिस पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"केवल औद्योगिक कच्चे माल की खरीद पर 1 प्रतिशत कर लगेगा। उपभोग्य वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण आदि अभी भी 3 प्रतिशत तक होंगे।"

चूंकि अपीलकर्ता के अनुसार, आदेश अस्पष्ट था, इसलिए उसने 16 अगस्त, 1982 को एक और आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा खरीदी जाने वाली उद्योगिक कच्ची सामग्री का विवरण दिया गया था। इसके जवाब में उप-आयुक्त ने कहा कि शिकायतें मिली हैं कि अपीलकर्ता सभी प्रकार की खरीद पर केवल 1% कर का भुगतान कर रहा है, चाहे सामग्री कच्चा माल हो या नहीं। इस पत्र के जवाब में, अपीलकर्ता ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की और 26 नवंबर, 1982 को उप-आयुक्त ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"मेरी राय में, 'औद्योगिक कच्चा माल (इनपुट्स)' शब्द का अर्थ उन इनपुट्स से है, जितना वे वास्तव में कच्चा माल हैं। स्पष्ट करने के लिए कहूँ तो, इनपुट्स की ऐसी वस्तुएँ जो तैयार अवस्था में हैं और केवल चेसिस में फिट की जानी हैं, बिना किसी और संशोधन या अन्य निर्माण प्रक्रिया के, वे औद्योगिक कच्चा माल नहीं हैं और केवल फिटिंग्स मानी जाएँगी। चेसिस को बिक्री योग्य स्थिति में लाने के लिए ऐसी फिटिंग्स की खरीद उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 604, दिनांक 12.4.1982 के अंतर्गत शामिल नहीं है।"

अपीलकर्ता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसे खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपीलकर्ता का यह दावा कि अधिसूचना को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि यह धारा 13(1)(ख) के अंतर्गत निर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सभी वस्तुओं पर लागू हो, न कि केवल अधिसूचना में उल्लिखित कच्चे माल पर, सही नहीं है। क्योंकि धारा स्वयं

अपीलकर्ता, एक निर्माता, को लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का पालन किया जाए। चूंकि रियायती कर दर का भुगतान करने का कोई असीमित अधिकार नहीं था और यह अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता था, इसलिए अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि अधिसूचना में कोई दोष है या कि अपीलकर्ता उन वस्तुओं पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं था, जो कच्चे माल थीं भले ही उनका उपयोग तैयार उत्पादों के रूप में वाहन निर्माण में किया गया हो। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 'औद्योगिक कच्चा माल (इनपुट्स)' शब्द को इतना व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता कि रियायती दर का दायरा तैयार उत्पादों तक बढ़ जाए और अपीलकर्ता के यह तर्क कि उप-आयुक्त ने आदेश केवल यांत्रिक रूप से पारित किया, बिना विचार किए, उसमें कोई औचित्य नहीं पाया।

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13(1)(ख), उस समय के संदर्भ में, निम्नानुसार थी:-

"धारा 13.- कुछ विशेष बिक्री या खरीद पर विशेष कर दर - (1) इस भाग में कही गई किसी भी बात के बावजूद, लेकिन उन शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित किए जा सकते हैं :-"

(ख) बिहार में बिक्री के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण में सीधे उपयोग के लिए या अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उपयोग हेतु पंजीकृत व्यापारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री या खरीद।"

यह धारा राज्य में किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं के विक्रय अथवा क्रय पर कर की विशेष दर का उपबंध करती थी। प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ-क्षेत्र व्यापक था। कराधान संबंधी विधियों में प्रयुक्त समान अभिव्यक्तियों का अर्थ भी विस्तृत प्रकृति का माना गया है। जे.के. कॉटन स्पिनिंग

एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी, कानपुर और एक अन्य, [1965] 1 एस.सी.आर. 900 में यह अभिधारित किया गया था कि “वस्तुओं के विनिर्माण में” अभिव्यक्ति सामान्यतः व्यापारी द्वारा कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाहित करती है। न्यायालय ने अवलोकन किया कि जहाँ कोई विशिष्ट प्रक्रिया वस्तुओं के अंतिम उत्पादन से इतनी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हो कि उस प्रक्रिया के बिना वस्तुओं का विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण असंभव अथवा व्यावसायिक दृष्टि से अव्यावहारिक हो, वहाँ उस प्रक्रिया में आवश्यक वस्तुएँ “वस्तुओं के विनिर्माण में” अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएँगी। *इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार, पटना एवं अन्य*, ए.आई.आर. (1965) एस.सी. 891 में, खनन कार्यों के पश्चात् वस्तुओं को कारखाने तक ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों को “ऐसे विक्रय के लिए वस्तुओं के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण में उपयोग हेतु अभिप्रेत वस्तुएँ” अभिव्यक्ति के अंतर्गत माना गया था। ऐसी व्यापक व्याख्या के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा प्रयुक्त कोई भी वस्तु, जो वाहनों के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण से अभिन्न रूप से संबंधित हो, इस धारा के अंतर्गत आएगी। किन्तु प्रासंगिक वर्ष में रियायती कर-दर धारा 13(1)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी अधिसूचना के अंतर्गत किसी वस्तु के उपयोग के लिए थी, जो निम्नवत् थी :

दिनांक 12 अप्रैल, 1982

एस.ओ. 604 – बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम संख्या 5, 1981) की धारा 13 के उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर इस विषय पर जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, बिहार के राज्यपाल यह निर्देश देने के लिए प्रसन्न हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 13(1)(ख) के अंतर्गत देय औद्योगिक कच्चे माल

(इनपुट्स) पर बिक्री कर की दर एक प्रतिशत होगी।

(2).....

(3).....”

इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा वाहन निर्माण में उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएँ जैसे टायर, ट्यूब, बैटरी आदि, जो अन्यथा तैयार उत्पाद हैं, 1% की रियायती कर दर का लाभ ले सकती हैं। यह निर्भर करेगा कि अधिसूचना में प्रयुक्त 'औद्योगिक कच्चा माल (इनपुट्स)' शब्द को किस प्रकार समझा और व्याख्यायित किया जाए। 'कच्चा माल' शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इसे उन लोगों की सामान्य और स्वीकृत समझ के अनुसार समझना होगा जो इसका उपयोग करते हैं। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है - 'कुछ ऐसा जो वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो'। सामान्य तर्क से इसका अर्थ यह है कि यह ऐसी वस्तु है जिससे कोई नई या अलग वस्तु बनाई जा सकती है। जब इसे कराधान संबंधी कानून में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका सम्बन्धित अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें इसे उपयोग किया गया है। *केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहकर्ता, नई दिल्ली बनाम बल्लपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड*, (1989) 1 एस.सी.आर. 323 में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या हर वह घटक जो निर्माण में प्रयुक्त होता है, और जो अपनी पहचान बनाए रखता है या जो जलकर नष्ट हो जाता है, कच्चा माल माना जाएगा। न्यायालय ने यह माना कि कच्चा माल होने के लिए वह घटक ऐसा होना चाहिए जो निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के अनुकूल हो। और वह घटक जो अंत उत्पाद में अपनी पहचान बनाए रखता है, उतना ही कच्चा माल है जितना वह घटक जो निर्माण में उपयोग होकर समाप्त हो जाता है। 'कच्चा माल' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ उस उपयोग के अनुसार बदल सकता है, जिसके लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। कोई वस्तु 'ए' वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल हो सकती है

और इससे बनी वस्तु स्वयं 'बी' वस्तुओं के लिए कच्चा माल बन सकती है। उदाहरण के लिए, बैटरी, टायर और ट्यूब स्वयं तैयार उत्पाद हैं। इन्हें अपने आप में कच्चा माल नहीं माना जा सकता। लेकिन जब इन्हें किसी वाहन के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो यह उस वाहन के लिए कच्चा माल बन जाती हैं क्योंकि यह आवश्यक और अनिवार्य है। कोई वाहन तब तक कार्य नहीं कर सकता और न ही उसे उत्पादित कहा जा सकता है जब तक कि टायर, ट्यूब और बैटरी इसमें फिट न किए जाएँ। इन वस्तुओं का उपयोग अंतिम उत्पादन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और ये अंतिम उत्पाद में अपनी पहचान बनाए रखती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इन्हें कच्चा माल नहीं माना जा सकता। चूंकि अधिसूचना धारा 13(1)(ख) के तहत जारी की गई थी, इसलिए कोई भी वस्तु जो 'कच्चा माल' के अर्थ में आती है, वह निर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने पर रियायती कर दर का लाभ प्राप्त कर सकती है। अधिसूचना को किसी अन्य प्रकार से पढ़ना धारा के अनुरूप नहीं होगा। राज्य की ओर से वकील का यह तर्क कि रियायती कर दर केवल सामान्य रूप से समझे जाने वाले कच्चे माल पर ही लागू होती है और अन्यथा तैयार उत्पादों पर नहीं, गलत अवधारणा पर आधारित था। विशेष कर दर किसी भी निर्माण में प्रयुक्त वस्तु पर लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने इसे केवल कच्चे माल तक सीमित किया। फिर भी, धारा 13(1)(ख) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार लाभ उन सभी कच्चे माल पर लागू होगा जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। दूसरे शब्दों में, रियायती कर दर केवल कच्चा माल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन कच्चे माल पर थी जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में किया गया।

कच्चे माल को आगे 'इनपुट्स' शब्द के उपयोग से स्पष्ट किया गया है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ है – 'जो डाला जाता है', 'प्रविष्ट होता है', 'प्रणाली में प्रवेश करता है'। अतः रियायती कर दर उस कच्चे माल पर लागू होती है जिसे वस्तुओं के निर्माण या उपयोग में

डाला जाता है। *केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहकर्ता, कोलकाता बनाम जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड*, [1988] सप्लीमेंट 3 एस.सी.आर. 998 में यह प्रश्न उठाया गया कि पंखे के निर्माता द्वारा प्रयुक्त नामपट्टियां 'इनपुट' मानी जाएंगी या नहीं और क्या इनके लिए उत्पाद शुल्क की छूट लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, यदि ऐसी वस्तुएँ आइटम 1-ए, क्रमांक 68 के अंतर्गत 'इनपुट' के रूप में प्रयुक्त हों, तो उन पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। न्यायालय ने यह माना कि पंखे पर लगा नामपट्टा केवल सजावट का हिस्सा नहीं है और बिना नामपट्टे के पंखे को बाजार में नहीं उतारा जा सकता, अतः यह अधिसूचना के अनुसार छूट के योग्य था और करदाता को छूट का अधिकार प्राप्त है। टायर, ट्यूब और बैटरी वाहन में लगाने के लिए खरीदी गई थीं, और इनके बिना वाहन कार्यशील नहीं हो सकता था। अतः ये 'इनपुट' थीं। इस शब्द के उपयोग से यह संकेत मिलता है कि रियायती कर का लाभ हर उस वस्तु के लिए प्रदान किया गया था, जो व्यापक अर्थ में कच्चा माल थी और 'इनपुट' शब्द के उपयोग से इसे और भी व्यापक बनाया गया। इसका उद्देश्य कच्चे माल के अर्थ को इस तरह बढ़ाना था कि इसमें वे वस्तुएँ भी शामिल हों, जिन्हें वाहन में लगाकर उन्हें बाजार योग्य बनाया जा सके।

परिणामस्वरूप, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता उन वस्तुओं, जैसे टायर, ट्यूब तथा बैटरियों, जो वाहन आदि के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की गई थीं, पर 1% की रियायती कर-दर का हकदार होगा।

मामले की परिस्थितियों में पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

टी.एन.ए

अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।